24.03.25

वकील फरीकेन उप० । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र प्रार्थिनी द्वारा अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश कर विवादित आराजी खसरा नंबर 2009, 2022, 2023, 2024, 2025 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा काश्त कब्जे पर स्थगन आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 16.7.21 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उपरोक्त पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि पूर्व में जारी सशर्त आदेश दिनांक 16.7.21 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थिनी के पक्ष में शुमार होकर नाम से कम होकर [illegible] निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 11:57:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)